

हिन्दी राष्ट्रभाषा की सार्थकता एवं उसके प्रेरक तत्त्वों का अध्ययन

डॉ. शालू
पीएच.डी. (हिन्दी),
सैक्टर-3, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

संक्षेप :

राष्ट्रभाषा देश का सम्मान, देश का अभिमान, देश की एकता की पहचान राष्ट्रभाषा महान है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में अगर कोई भाषा समर्थशाली है तो वह है हिन्दी भाषा। 30 अक्टूबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान और गौरव प्रदान किया गया है। इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना इसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप हैं। देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हिन्दी भाषा नहीं है। यही नहीं, विदेशों के अधिकांश क्षेत्रों में भी हिन्दी भाषी लोग हैं। हमारे देश में हिन्दी भाषी राज्यों उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश आदि राज्यों में भी हिन्दी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। ये हिंदी के प्रेमी, भक्त और समर्थक हैं। प्रभाकर माचवे जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी के लोकप्रिय लेखक हैं।

भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिंदी का अपना महत्त्व है। हिंदी भारत की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का एक स्रोत हिन्दी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही रहा है। हिंदी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिंदी में पुरातन भारतीय परम्पराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है।

हिंदी भाषा भारत देश की आम भाषा है। भारत के हृदय का उद्गार है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन है, "राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिंदी भारत माता के ललाट की बिंदी है।"

हिंदी भाषा बहुत ही सही, प्रेरक है। इस भाषा के माध्यम से अपने देश का विकास सचमुच संभव है। इस राष्ट्रभाषा को प्रणाम करती हूँ।

विशेष शब्द : बहुभाषी, बहुपंथी, बहुरंगी, हिंदवी, ललाट, अक्षुण्य, जलवायुगत

हिंदी एक समृद्ध और विकसित भाषा है। हमारी अस्मिता की पहचान है। हिंदी को संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर साहित्य रच साबित किया कि हिंदी किसी से कम नहीं है। हिंदी के ही नहीं तो अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी में साहित्य रचा है। विशेषकर मराठी भाषी संतों, लेखकों का अवदान स्मरणीय हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम का नाम इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सम्पूर्ण देशभर में भ्रमण करने वाले इन मराठी संतों ने हिंदी को स्वीकार कर हिंदी के प्रति अपना समर्थन दिया इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। विनोबाजी ने कहा था कि, "राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक अगर कुछ है तो वह एक भाषा और एक लिपि।" मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि ही इसका एकमात्र साधन है।

हिन्दी हमारी आन है, शान है हिन्दी

हिन्दुस्तानियों की सरताज है हिन्दी

लोगों की बात लोगों तक पहुँचाने का साधन है हिंदी।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इस देश की जन्मभाषा है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली, समझी और पढ़ी-लिखी जाने वाली भाषा मानी जाती है। इसलिए इसके प्राचीन नाम 'भाषा', 'देशभाषा', 'हिंदवी' आदि हैं। चंद्रबरदाई ने इसे 'भाषा' विद्यापती ने 'देशीय भाषा', कबीर ने 'भाषा', जायसी ने 'हिंदवी', तुलसी और केशव ने इसे 'भाखा' कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का विस्तार क्षेत्र कभी सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय और हिंदी कवियों को क्षेत्रीय या प्रादेशिक सीमाओं से आबद्ध होना कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण सदा विशाल और व्यापक रहा।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं, जिसका व्यवहार समग्र देश में होता है। जो पूरे देश में लिखी, पढ़ी और समझी जाती हो। जिसमें उच्च स्तर का साहित्य हो, श्रेष्ठतम शब्द समूह हो, देश को भावनात्मक एकता से बांधने की क्षमता हो। एक मात्र हिंदी में ही वह लचीलापन है, लाघव है, सम्प्रेषणीयता है, सार्मथ्य है, जो कि राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित है। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक समग्र देश में हिन्दी बोली जाती है, समझी जाती है, यह गौरव किसी अन्य भाषा को नहीं मिला। अब तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। राजभाषा उसे कहते हैं, जो सरकारी कामकाज में चलती हो। आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत को राजभाषा का स्थान दिया है। इस तरह हिंदी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। विविधता में एकता की अभिव्यक्ति हिंदी में है।

"हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी

वतन जैसे है प्यारी

अनेकता में एकता का नारा है

गौरवशाली भारत हमारा है।

**सांस्कृतिक मूलाधार है राष्ट्रभाषा
अक्षुण्य रहे हिन्दवासी अभिलाषा।”**

सन् 1976 में मॉरिशस में हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में जापान, इंग्लैण्ड, अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्र के हिंदी प्रेमियों ने सम्मान का बड़ा स्थान दिया है। इस सम्मेलन में 'विश्व संस्कृति संगम' हुआ और हिंदी विश्वबंधुत्व की वाहिका बन गयी। हिंदी की भव्यता, विशालता और सफलता की गवाही विश्व में सभी जगह दी गयी है। मॉरिशस के जनता की भाषा हिंदी है यह भारत का गौरव है। विश्व में तीसरे नंबर की यह भाषा हिंदी है जो विश्वभाषा है।

आज दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं, जहां लोग भारत को समझने के लिए हिंदी को समझना आवश्यक मानते हैं। देश के बाहर दुनियां में हर जगह हिंदी के लिए आदर और अपनापन है। हिंदी देश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता ज्वलंत प्रतीक है। राष्ट्रीय मर्यादा के रूप में हिंदी को अपना ही राष्ट्रीय

धर्म है। राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्रीय एकता से होता है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की उन्नति होती है। एकता का भाव भाषा से ही प्रकट होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वाणी है। हिंदी राष्ट्रवाणी है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र को प्यारी है। हिंदी राष्ट्र की आत्मा है। गांधी जी ने एक मूलमंत्र दिया था, 'एक हृदय भारत जननी।'

हिंदी एक विश्वभाषा है। 1975 में नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी प्रेरणा से वर्धा में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन हुआ। भारत की एकता को व्यक्त करने वाली अपनेपन के भाव को बढ़ाने वाली हिन्दी भाषा है। हिंदी की मिठास अवर्णनीय है। कबीरदास जी ने लिखा है—

**ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय,
औरन को शीतल करे, आपहुँ, शीतल होय।।**

जो भाषा सीधी, सरल, आकर्षक, सीखने-सिखाने में आसान, जिसे अधिकांश लोगों ने अपनाया हो, जो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हो, जो राष्ट्रीय एकता के भावों को अभिव्यक्ति करे जो एकता के सूत्र में बांधे रखे क्यों न राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरूढ़ हो?

महात्मा गांधी ने कहा था, "राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो। जो धार्मिक और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एकता स्थापित करने की शक्ति रखती हो। जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक हो। इन सभी दृष्टियों से हिंदी ही उपयुक्त है। यही राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है।"

योगी अरविंद, हिंदी प्रचार को स्वाधीनता संग्राम का एक अंग मानते थे। आजाद हिंद फौज की भाषा भी हिंदी थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का मंथन है, "हिंदी भाषा की सहायता से जो लोग ऐक्य बंधन स्थापित कर सकेंगे वे ही भारत के नागरिक कहलायेंगे। हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिए हमें एकमात्र हिंदी की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाहिए।"

भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता से सजा हुआ है। परन्तु पहचान है एक राष्ट्र के रूप में। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र ध्वज के साथ राष्ट्र के रूप में दिखाई देती है। हिंदी वह भाषा है जो सबको एक संघ में जोड़े रख सकती है। इसी माध्यम से हम सभी भारतवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर परस्पर आत्मीयता और प्रेमभाव को वृद्धिगत करते हैं।

भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अरुणांचल से लेकर गुजरात तक का प्रान्त अपनी निजी भाषा का प्रयोग करता है। इन प्रांतीय भाषाओं को संविधान ने आदर का स्थान दिया है। प्रांतों की सरकारें अपना कामकाज अपने प्रांत की भाषा में करती हैं। राज्यभाषा को राजभाषा का स्थान संविधान के द्वारा प्राप्त है। जैसे बंगला प्रांत की बंगाली, उड़ीसा प्रांत की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रांत की तेलगु, केरल प्रांत की मलयालम परन्तु राज्यों के आपसी सम्पर्क के लिए तथा यहाँ के निवासियों को आपसी सम्पर्क के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्थान दिया गया है।

हिंदी में सभी प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं। वह देवनागरी लिपि में रखी जाती है जो एक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृत से हुई है। अनेक वर्षों से यह राज कारोबार की और सामान्य जनता की भाषा रही है। अपने भावों को देशव्यापी अभिव्यक्ति देने के लिए असम के शंकर देव, नारायण देव, पंजाब के नानक देव, गुजरात के नरंसी मेहता, दयाराम, महाराष्ट्र के नामदेव आदि ने हिंदी को ही अपनाया। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा ने हिन्दी को ही अपनाया है। विदेशी सिनेमाओं ने भी हिंदी को अपनाया है, जैसे—ज्युरासिक पार्क। इस तरह भारत की एकता को व्यक्त करने वाली, अपनेपन के भाव को बढ़ाने वाली हिंदी भाषा है। एकता की सार्थक अभिव्यक्ति हिन्दी भाषा में है।

राष्ट्र की चेतना, उसका स्वरूप, उसका प्रभाव और उसकी गरिमा को प्रतिपादित करने वाली राष्ट्रीय तत्त्व होते हैं। राष्ट्रीय तत्त्वों के अंतर्गत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्रभाषा और साहित्य, संस्कृति सभ्यता, रीति—रस, पर्व—त्यौहार आदि आते हैं। इन सभी राष्ट्रीय तत्त्वों की पहचान करने वाला तत्त्व भाषा ही है। इस प्रकार हमारे समूचे राष्ट्र की भावधारा को व्यक्त करने वाली भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है।

भारत वर्ष एक विशाल गणराज्य है। विस्तृत देश होने के कारण इसमें विभिन्नता का होना भी परम स्वाभाविक है। यह विभिन्नता हमें सर्वप्रथम इसमें प्रचलित विविध भाषाओं में दृष्टिगोचर होती है। भारत वर्ष में तमिल, मराठी, बंगला, गुजराती आदि अनेक भाषाएँ हैं। परन्तु इन भाषाओं का प्रचार व्यापक नहीं है। जितना कि हिन्दी भाषा का है। विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी भारतीय अभिव्यक्ति में हिंदी का वही स्थान है जो नक्षत्र लोग में चंद्रमा का है।

भारत वर्ष सदियों तक अंग्रेजों व अन्य विदेशियों का गुलाम रहा एवं विभिन्न विदेशी शासकों ने अपने देश की भाषा के माध्यम से शासन कार्य को संचालित किया। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में समस्त कार्य अंग्रेजी में ही सम्पन्न होते थे। परन्तु स्वतंत्र हो जाने के बाद अंग्रेजी के द्वारा शासन के कार्यों का संचालन अत्यंत ही लज्जा का विषय है। अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी सरल एवं सुगम है।

इसे सीखने हेतु अल्प परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के समय हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग चालीस प्रतिशत थी। उस समय अन्य भाषाओं के बोलने वालों का प्रतिशत 5 अथवा 6 था एवं अंग्रेजी बोलने वालों का केवल 2 प्रतिशत था। अतः राष्ट्रभाषा का स्थान वही भाषा प्राप्त कर सकती है जिसे लोग अधिक से अधिक प्रयोग में लाते हैं। हिन्दी भाषा को बोलने वालों की संख्या अत्याधिक है। लेकिन उसको समझने वालों, बोलने वालों से भी अधिक है। जितनी भी प्रांतीय भारतीय भाषाएँ हैं, उनके बोलने एवं समझने वाले यह ठीक प्रकार से जानते हैं कि सभी भाषाओं का एकमात्र स्रोत हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि पूर्ण वैज्ञानिक के अक्षरों की ध्वनि हमेशा एक-सी ही रहती है। देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिन्दी का दायित्व सर्वाधिक है। आज भी श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम तक हिंदी कवि, लेखक विद्यमान है। हिंदी भाषियों को इस दिवस की प्रतीक्षा में रहना चाहिए, जब हिंदी भगीरथ गंगा के किरे से नहीं अपितु उसकी मांग कृष्ण और कावेरी के पुनीत पुलिनों से दुहराई जाए। अब वह दिन अधिक दूर नहीं जबकि ऐसा स्वप्न साकार होगा, भारतेंदु का निम्न कथन हिंदी के विकास की प्रेरणा दे रहा है—

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।

बिन निजभाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल।।

हिंदी हमारी अपनी भाषा है। एक राष्ट्रभाषा जिन गुणों की माँग करती है वे समस्त गुण इसमें विद्यमान है। हिंदी भाषा में प्राचीन काल से ही पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचना हुई है और वर्तमान काल में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा जा रहा है। विदेशी भाषा में ज्ञानार्जन करने में जितना प्रयत्न करने पड़ते हैं। निजभाषा में उससे आधे प्रयत्न से ही प्रवीनता आ जाती है। गांधी जी के शब्दों में “अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम से कम सोलह वर्ष लगते हैं। यदि इन्हीं विषयों की शिक्षा अपनी भाषा के माध्यम से दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष लगेंगे।” भारत जैसे विशाल देश में जहाँ तरह-तरह की विभिन्नताएँ व्याप्त हैं, वहाँ अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, यहाँ अनेक सम्प्रदाय हैं तथा इस देश में अलग-अलग प्रकार की वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज और संस्कृतियों का निवास है। भौगोलिक दृष्टि से भी इस देश में जलवायुगत अनेक विशेषताएँ हैं। यहाँ के धर्म, सम्प्रदाय, भाषा तथा बोलियों की गिनती करना भी आसान नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश कई देशों का समूह है। जैसे एक धागा अनेक किस्म के फूलों तथा मणियों को पिरोकर एक सूत्र में बाँधकर सजा देता है। उसी प्रकार इस देश में भी विविधता में एकता दृष्टिगोचर होती है। हिंदी भाषा अनेक धर्मों, सम्प्रदायों तथा विचारधाराओं का वह संगम है जो एक साथ मिलकर एक जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। अनेकता में एकता ही इसका मूलाधार है।

हिंदी आपसी सम्पर्क की सक्षम भाषा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने तो भविष्य वाणी की थी कि, मेरा दृढ़ विश्वास है, हिंदी सम्पर्क भाषा बनकर ही रहेगी। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा। ऐसा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।

एकता ऐसा समन्वयकारी तत्त्व है, जो बाहरी विभिन्नता के होते हुए भी मानसिक तौर पर जोड़ने का काम करता है। जैसे हम रेल में यात्रा कर रहे हों और हमारा सहयात्री दूसरी भाषा बोलने वाला हो तो हम अपनी बात अनायास स्वाभाविक तौर पर हिंदी में आरंभ कर देते हैं। गुजराती, मराठी, कन्नड़ इन सबको एक-दूसरे से बोलने को प्रवृत्त करती है हिंदी भाषा। इसलिए कहा जाता है कि, "रेल भाषा—मेल की भाषा—हिंदी भाषा।"

हिंदी भाषा भारत देश की आम भाषा है। भारत के हृदय का उद्गार है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन है, "राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिंदी भारत माता के ललाट की बिंदी है।"

हिंदी भाषा बहुत ही सही, प्रेरक है। इस भाषा के माध्यम से अपने देश का विकास सचमुच संभव है। इस राष्ट्रभाषा को प्रणाम करती हूँ।

संदर्भ

1. राष्ट्र भाषा पर विचार, आचार्य चंद्रबली पांडेय
2. राष्ट्रभाषा प्रचार का इतिहास, सं. गंगाशरण सिंह
3. राष्ट्रभाषा आंदोलन, गो. प. नेने
4. हिंदी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी।
5. भाषा—विवेचन, डॉ. भागीरथ मिश्र
6. राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, रामधारी सिंह दिनकर
7. हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा की ओर, डॉ. सुरेश माहेश्वरी।